न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 118/2021 **GCMS 2021/450**

वादीगण

1. कुन्दनमल पुत्र जेठाराम
2. गिरधारी पुत्र जेठाराम
3. गुलाराम पुत्र जेठाराम
4. रामूराम पुत्र जेठाराम
5. बेगाराम पुत्र पुत्र जेठाराम
6. भंवरीदेवी पत्नी जेठाराम
7. लिछमणराम पुत्र मोहनराम फौत के कायम मुकाम :–
   7/1– सीताराम पुत्र लिछमण
   7/2– रामस्वरूप पुत्र लिछमण
   7/3– सन्तोष पुत्र लिछ्ण्मण
   7/4– सागरमल पुत्र लिछमण
   7/5– केलम पुत्री लिछमण
   7/6– सुगना पुत्री लिछमण
8. रामदयाल पुत्र मोहनाराम
9. प्रभूराम पुत्र मोहनाराम
10. बंशी पुत्र मोहनाराम
11. जगदीश पुत्र मोहनाराम
12. प्रेमचन्द पुत्र मोहनाराम जाति समस्त बावरी निवासी जिलिया तह. कुचामनसिटी
13. नानूड़ी पत्नी मोहनाराम जाति बावरी जिलिया फौत (पहले से ही कायम मुकाम मौजूद होने से कार्यवाही STRUCK OFF ड्रोप)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भंवरलाल पुत्र तारूराम
2. चन्द्रीदेवी पत्नी गंगाराम
3. रामूराम पुत्र गंगाराम
4. राजूराम पुत्र गंगाराम
5. पूर्णीदेवी पुत्री गंगाराम
6. शान्तिदेवी पुत्री गंगाराम
7. बावडीदेवी पत्नी मंगलाराम फौत (पहले से **ही** कायम मुकाम मौजूद होने से कार्यवाही STRUCK OFF ड्रोप)
8. सुरेश पुत्र मंगलाराम
9. रामगोपाल पुत्र मंगलाराम
10. खेमाराम पुत्र मंगलाराम
11. मुकेश पुत्र मंगलाराम
12. बुलीदेवी पुत्री मंगलाराम
13. ग्यारसी देवी पुत्री मंगलाराम

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

14. कंचन देवी पुत्री मंगलाराम
15. पेमाराम पुत्र तारूराम फौत के कायम मुकाम :–
16. सबलराम पुत्र तारूराम
17. देवाराम पुत्र गंगाराम
18. चम्पादेवी पत्नी बनाराम
19. रामदीन पुत्र रतनाराम फौत के कायम मुकाम :–
    19/1– किस्तूरमल पुत्र रामदीन
    19/2– सुवालाल पुत्र रामदीन
    19/3– मेघराज पुत्र रामदीन
    19/4– सन्तोष पुत्र रामदीन
    19/5– सोनकी पुत्री रामदीन
    19/6– गीता पुत्री रामदीन
    19/7– मूनी पुत्री रामदीन समस्त जाति बावरी निवासीगण जिलिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
20. उप पंजीयक कुचामनसिटी
21. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी

दावा इस्तकरार हक व भू–विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

संशोधित–निर्णय

दिनॉक 30/06/2022

वकील वादीगण उपस्थित। बहस कर कथन किया है कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त हो चुकी है माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। वकील वादीगण की बहस पर वाद पत्र एवं वाद पत्र के संलग्न दिनॉक 18.05.2015 को प्राथमिक डिक्री जार कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी ने बंटवारा स्कीम पत्रांक/भू.अ./1505 दिनॉक 07.08.2015 के द्वारा भिजवाई गई, दिनॉक 17.07.2015 को तैयार मौका रिपोर्ट/बंटवारा स्कीम शामिल मिसल उपलब्ध है। प्रकरण में माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के यहॉ अपील होने से मूल पत्रावली भिजवाई गई, जिसमे बाद सुनवाई दिनॉक 24.09.2021 को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा आदेश पारित कर अपीलांट रामदीन की मृत्यु हो जाने से कायम मुकाम द्वारा कोई कार्यवाही नही किये जाने के कारण एबेटमेंट हो जाने से उक्त अपील खारिज की जाकर मूल प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया। प्रकरण इस न्यायालय में पुनः दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी वकील वादी के प्रार्थना–पत्र आर्डर 20 रूल्स 5 सी.पी.सी. पर सुनवाई की जाकर तत्पश्चात जरिये अखबार स्याह तलबी जारी की गई, प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर एक–पक्षीकय कार्यवाही अमल में लाई गई। दौराने सुनवाई वादी सं. 13 नानूड़ी की मृत्यु हो जाने का प्रार्थना–पत्र आर्डर 22

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

रूल्स 3 सी.पी.सी. लिमिटेशन एक्ट 5 का शपथ–पत्र प्रस्तुत हुआ जिसे सुनवाई पश्चात स्वीकार किया गया तथा नानूड़ी के कायम मुकाम पहले से ही रेकार्ड पर होने से उन्हे पक्षकारा रखा गया तथा वाद पत्र से नानूड़ी का नाम STRUCK OFF किया गया। वादीगण के अधिवक्ता की आरे से प्रार्थना–पत्र आर्डर 22 रूल्स 4 सी. पी.सी. मय लिमिटेशन एक्ट 5 का शपथ–पत्र प्रस्तुत हुआ जिसमे कथन किया गया कि प्रतिवादी पेमाराम पुत्र तारूराम की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रतिवादी रामदीन की मृत्यु हो चुकी है जिसके कायम मुकाम को रेकार्ड पर लिया जावे, प्रार्थना–पत्र पर सुनवाई कर उसे स्वीकार किया गया तथा उसके कायम मुकाम को रेकार्ड पर लिया, प्रतिवादी बावड़ीदेवी पत्नी मंगलाराम की मृत्यु होने से तथा उसके वारिसान पहले से ही रेकार्ड पर होने से उनके विरूद्व कार्यवाही ड्रोप की गई, वादीगण अधिवक्ता द्वारा संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में प्राप्त प्राथमिक डिक्री की पालना तहसीलदार कुचामनसिटी ने बंटवारा स्कीम तैयार कर अपने पत्रांक/भू.अ./1505 दिनॉक 07.08.2015 के द्वारा भिजवाई गई, दिनॉक 17.07.2015 को तैयार मौका रिपोर्ट/बंटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। बंटवारा स्कीम अनुसार वादीगण को अनुतोष दिया जाना न्यायिक दृष्टिकोण से उचित प्रतीत होता है, मौके पर उक्त बंटवारा स्कीम अनुसार ही काबिज खातेदार काश्तकार है तथा इनके हिस्से में दर्ज अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

वकील वादी के द्वारा प्रार्थना–पत्र निर्णय व डिक्री पर्चा में संशोधन बाबत अन्तर्गत धारा 151, 152 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत होने पर पुनः सुनवाई कर विवेचन किया गया। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा वादीगण के अलावा अन्य प्रतिवादीगण को अधिक भूमि पर कब्जा बताया गया। जबकि संयुक्त खातेदारी में सभी खातेदारो को उनके हक हिस्से अनुसार कब्जा काश्त माना जाता है। चूँकि प्राथमिक डिक्री जारी करते समय वादीगण का हक हिस्सा जमाबंदी अनुसार घोषित किया गया था, अतः वाद वादीगण अन्तिम रूप से काबिल डिक्री योग्य होने से डिक्री किया जाता है। अतः अन्तिम डिक्री आदेश में संशोधित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः निम्न प्रकार संशोधन आदेश जारी किये जाते है।

संशोधित–आदेश

वाद वादीगण अन्तिम रूप से डिक्री कर घोषणा कि जाती है ग्राम जिलिया के खसरा नम्बर 506 रकबा 1.61 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 514 रकबा 4.25 हैक्टर में से 2.08 हैक्टर दक्षिणी तरफ व 0.50 हैक्टर उत्तरी तरफ तथा खसरा नम्बर 1346/424 रकबा 0.20 हैक्टर सम्पूर्ण कुल रकबा 4.39 हैक्टर में वादी सं. 1 से 6 को 1/2 तथा वादी सं. 7 से 13 को 1/2 हिस्से के तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम (फर्द मौका दिनॉक 17.07.2015) खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा खसरा नम्बर 514 का शेष रकबा मध्य हिस्सा 1.67 हैक्टर, खसरा नम्बर 507 रकबा 2.30 हैक्टर खसरा नम्बर 513

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

रकबा 0.16 हैक्टर कुल रकबा 4.13 हैक्टर में वादीगण को 1.29 हैक्टर रकबा व प्रतिवादीगण को रकबा 2.84 हैक्टर में संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 30/06/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इब्तेदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी जिला नागौर (राज.)

बइजलास : बाबुलाल जाट (RAS)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 118/2021 **GCMS 2021/450**

वादीगण

1. कुन्दनमल पुत्र जेठाराम
2. गिरधारी पुत्र जेठाराम
3. गुलाराम पुत्र जेठाराम
4. रामूराम पुत्र जेठाराम
5. बेगाराम पुत्र पुत्र जेठाराम
6. भंवरीदेवी पत्नी जेठाराम
7. लिछमणराम पुत्र मोहनराम फौत के कायम मुकाम :–
   7/1– सीताराम पुत्र लिछमण
   7/2– रामस्वरूप पुत्र लिछमण
   7/3– सन्तोष पुत्र लिछण्मण
   7/4– सागरमल पुत्र लिछमण
   7/5– केलम पुत्री लिछमण
   7/6– सुगना पुत्री लिछमण
8. रामदयाल पुत्र मोहनाराम
9. प्रभूराम पुत्र मोहनाराम
10. बंशी पुत्र मोहनाराम
11. जगदीश पुत्र मोहनाराम
12. प्रेमचन्द पुत्र मोहनाराम जाति समस्त बावरी निवासी जिलिया तह. कुचामनसिटी
13. नानूड़ी पत्नी मोहनाराम जाति बावरी जिलिया फौत (पहले से ही कायम मुकाम मौजूद होने से कार्यवाही STRUCK OFF ड्रोप)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भंवरलाल पुत्र तारूराम
2. चन्द्रीदेवी पत्नी गंगाराम
3. रामूराम पुत्र गंगाराम
4. राजूराम पुत्र गंगाराम
5. पूर्णीदेवी पुत्री गंगाराम
6. शान्तिदेवी पुत्री गंगाराम
7. बावडीदेवी पत्नी मंगलाराम फौत (पहले से ही कायम मुकाम मौजूद होने से कार्यवाही STRUCK OFF ड्रोप)
8. सुरेश पुत्र मंगलाराम
9. रामगोपाल पुत्र मंगलाराम
10. खेमाराम पुत्र मंगलाराम
11. मुकेश पुत्र मंगलाराम
12. बुलीदेवी पुत्री मंगलाराम
13. ग्यारसी देवी पुत्री मंगलाराम
14. कंचन देवी पुत्री मंगलाराम
15. पेमाराम पुत्र तारूराम फौत के कायम मुकाम :–
16. सबलराम पुत्र तारूराम

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

17. देवाराम पुत्र गंगाराम
18. चम्पादेवी पत्नी बनाराम
19. रामदीन पुत्र रतनाराम फौत के कायम मुकाम :–
    19/1– किस्तूरमल पुत्र रामदीन
    19/2– सुवालाल पुत्र रामदीन
    19/3– मेघराज पुत्र रामदीन
    19/4– सन्तोष पुत्र रामदीन
    19/5– सोनकी पुत्री रामदीन
    19/6– गीता पुत्री रामदीन
    19/7– मूनी पुत्री रामदीन समस्त जाति बावरी निवासीगण जिलिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
20. उप पंजीयक कुचामनसिटी
21. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी

दावा इस्तकरार हक व भू–विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू ....की ओर से मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **वाद वादीगण अन्तिम रूप से डिक्री कर घोषणा कि जाती है ग्राम जिलिया के खसरा नम्बर 506 रकबा 1.61 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 514 रकबा 4.25 हैक्टर में से 2.08 हैक्टर दक्षिणी तरफ व 0.50 हैक्टर उत्तरी तरफ तथा खसरा नम्बर 1346/424 रकबा 0.20 हैक्टर सम्पूर्ण कुल रकबा 4.39 हैक्टर में वादी सं. 1 से 6 को 1/2 तथा वादी सं. 7 से 13 को 1/2 हिस्से के तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम (फर्द मौका दिनॉक 17.07.2015) खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा खसरा नम्बर 514 का शेष रकबा मध्य हिस्सा 1.67 हैक्टर, खसरा नम्बर 507 रकबा 2.30 हैक्टर खसरा नम्बर 513 रकबा 0. 16 हैक्टर कुल रकबा 4.13 हैक्टर में वादीगण को 1.29 हैक्टर रकबा व प्रतिवादीगण को रकबा 2.84 हैक्टर में संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी तहरीर जारी हो।**

निज .... मुबलिग .... बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 30 माह 06 सन् 2022 को जारी की गई।

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा कुचामन सिटी (नागौर) (मुहर)

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर))

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालातनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।